FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[न्याय]ालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रहलाद सिंह बनाम भागली देवी

[मुकद्]दमा दावा नं. 101 सन् 2019

[नम्बर] [सिल]सिल[ेवार] [हुक्म]	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस, हुक्म की तामील में जारी हुए
19-7-21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में उप तहसीलदार (भू० अ०) अजीतगढ़ से चाही गई वांछित जाँच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 312/भू.अ./2021 दिनांक 19-7-2021 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 22-7-21 को पेश हो।	
22.07.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई।	
	दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि ग्राम हरदास का बास के पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 88, 108, 87/1576 कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] 11 बिस्वा का सम्वत् 2031 से 20[illegible] वादी [illegible] 1 खातेदार दर्ज है व इस [illegible] संख्या [illegible] व 16 में प्रहलादसिंह की पत्नि कौशल्या [illegible] उसके नाम नामान्तकरण संख्या 354 भरे जाने का नोट अंकित किया है। भू प्रबन्ध के खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2012 से 2027 के पृष्ट संख्या 153 पर उक्त भूमि की खातेदारी वादी नं. 1 के पिता शिवलाल सिंह वल्द सवाईसिंह के नाम अंकित है व सम्वत् 2039 के पर्चा खतौनी जारी हुआ, उसमें मु0	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रहलाद सिंह बनाम भगवती देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु.नं. - 104/2019

कौशल्या देवी को वादी नम्बर 1 की बेवा बताकर खातेदार के रूप में अंकित कर दिया गया व खसरा पत्रक में भी नये खसरा नम्बर 201, 202, 250 में तथाकथित कोशल्या देवी को वादी नम्बर 1 की बेवा बताकर उसका नाम कॉलम संख्या 23 में अंकित कर दिया गया व कॉलम सं. 2 में नामातंरण संख्या 314 का हवाला दर्ज कर दिया गया। वादी नम्बर 1 पूर्वकाल में भारतीय सेना मे सैनिक के रूप में पदस्थापित रहा है जिसे 1971 के पश्चात् डिस्चार्ज कर दिया गया था। वादी नम्बर 1 अभी तक जीवित है जबकि उसे मृत बताकर कतई गलत रूप से पिछले 40 वर्षो से भी अधिक समय से गलत राजस्व रिकार्ड बनाया जा रहा है जो पूर्णरूपेण अन्यायपूर्ण व अवैध व विस्मयकारी स्थिति है। वादी को तथाकथित संबंधित नामांतरण की संख्या की भी वास्तविक जानकारी नहीं दी जा रही है एंव ना ही कोई प्रतिलिपियॉ दी जा रही है। कोशल्या वादीगण की कभी पत्नि नहीं रही है। वादी नं. 1 अभी तक अविवाहित है एंव जीवित है। कौशल्या श्री नारायणसिंह की पत्नि थी। प्रतिवादीगण श्री नारायणसिंह व कौशल्या से उत्पन्न पुत्री है। वादी नं. 1 के जीवित होते हुए किसी दूसरे के नाम वादी नम्बर 1 की खातेदारी दर्ज किया जाना सर्वथा गलत व अवैधानिक है। प्रतिवादीगण ग्राम हरदास का बास की निवासीनी भी कभी नहीं रही बल्कि वह ग्राम मण्डा मे रहती है। पूर्वकाल में वादी नम्बर 1 हरियाणा प्रान्त में अपनी बहन के पास रहता था जिस अवधि में गुपचुप में ये सारे इन्द्राज करवाये गये है। निर्वाचक नामावली सन् 2007 की वोटरलिस्ट की कम संख्या 216 पर कौशल्या के पति का नाम नारायणसिंह अंकित है। सन् 1993 की विधानसभा निर्वाचक नामावली ग्राम हरदास का बास के क्र.स. 173 पर प्रहलादसिंह पुत्र श्योलालसिंह का नाम है जो उसके जीवित होने का प्रमाण है व क्रमांक 174 पर कौशल्या देवी को नारायणसिंह की पत्नि [illegible] है। ग्राम पंचायत हरदास का बास [illegible] द्वारा वादी [illegible] की जीवित प्रमाण पत्र जारी किया है एंव उसका आधार कार्ड भी बना हुआ है व मतदाता परिचय पत्र भी बना हुआ है। ग्राम पंचायत हरदास का बास अथवा हाथीदेह द्वारा आज तक भी प्रहलादसिंह पुत्र शिवलालसिंह का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। वादी नम्बर 1 ने नामान्तरण संख्या 314 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 19:59:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रहलाद सिंह बनाम माली देवी

क्र. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मु.नं. - 101/2019	

364 की नकले तहसील श्रीमाधोपुर व सदर कानूनगों सीकर से भी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था किन्तु दोनों ने ही नामांतरण नहीं मिलने बाबत टिप्पणी सबंधित आवेदनों पर की गई है। प्रकरण में कौशल्या देवी पत्नि नारायणसिंह की पुत्री माली देवी पत्नि छीतरसिंह पुत्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी मण्ढ़ा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर जो वादपत्र में प्रतिवादिया नम्बर 1 है के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा पेश किया जाकर कौशल्या बेवा प्रहलादसिंह का नाम हटाकर वादी नं. 1 के नाम किये जाने बाबत राजीनामा पेश कर तस्दीक करवाया जा चुका है। प्रकरण में उप तहसीलदार अजीतगढ़ के द्वारा भी वादग्रस्त आराजी भूमि पर वादी का कब्जा होने तथा वादी के जीवित होने तथा इस नाम का गांव में अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होने बाबत अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है।

वकील वादीगण ने वादपत्र को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

अतः वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस व पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034, 2041, 2074 से 2077, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल मिसल हकियत सम्वत् 2041 से 2060, निर्वाचक नामावली मतदाता सूचि वर्ष 1988, 1993, 2003, सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास द्वारा जारी जीवित प्रमाण पत्र, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सीकर के पत्र की फोटोप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास व हाथीदेह द्वारा जारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी सूचना, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, तहसीलदार श्रीमाधोपुर, सदर कानूनगो सीकर व भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर के यहां प्रस्तुत प्रतिलिपि प्राप्त करने के आवेदन पत्रों की फोटोप्रतियां, पक्षकारान के मध्य आपस में हुए राजीनामा, साक्ष्य वादीगण में प्रस्तुत लिखितशुदा शपथ पत्रों व उप तहसीलदार अजीतगढ़ से प्राप्त जॉच रिपोर्ट इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया।

हमने वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर सगौर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रहलाद कंवर माली देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	
	दावा मु.नं. – 10/2019	
	रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण में से वादी नं. 1 प्रहलादसिंह पुत्र शिवलालसिंह वल्द सवाईसिंह के नाम खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2012 से 2027 तक व जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 में खातेदारी दर्ज रिकार्ड अंकित होना प्रकट होता है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 के पर्चा खतौनी के विशेष कॉलम में प्रहलादसिंह के वारिस कोशल्या को अंकित किया जाकर ना.स. 354 के द्वारा मु0 कौशल्या देवी बेवा प्रहलादसिंह के नाम खातेदारी गलत रूप से इन्द्राज होना स्पष्ट होता है। जबकि श्रीमाधोपुर विधानसभा की निर्वाचक नामावली 1993 में क्रम संख्या 174 पर प्रहलाद सिंह पुत्र स्योलालसिंह के नीचे कोशल्या पत्नि नारायणसिंह का नाम दर्ज होना तथा निर्वाचक नामावली 2003 में भी कोशल्या देवी पत्नि नारायण सिंह का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास द्वारा दिनांक 31.08.2015 को जारी जीवित प्रमाण पत्र के अनुसार प्रहलादसिंह पुत्र शिवलाल सिंह राजपूत को दिनांक 31.8.2015 तक जीवित होना माना है तथा सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास के द्वारा दिनांक 05.7.2017 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी सूचना में प्रहलादसिंह पुत्र शिवलाल सिंह का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होना अंकित किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2018 के तहत विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर 039 हेतु दिनांक 15.11.2018 को जारी फोटो मतदाता पर्ची के अनुसार प्रहलादसिंह पुत्र शिवलाल सिंह का नाम मतदाता सूचि में होना तथा प्रहलाद सिंह पुत्र शिवलाल सिंह द्वारा दिनांक 22.03.2017 को उप पंजीयक अजीतगढ़ के यहाँ पंजीकृत कराये गये गोदनामा लेख अनुसार वादी नं. 1 का जीवित होना स्पष्ट प्रकट होता है। वादी का मुख्य प... पेश शपथ पत्र व वादी गवाहान ... छीतरराम मीणा ने अपने–अपने शपथ पत्रों में ... में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए वादी ... प्रहलादसिंह को अभी तक अविवाहित होने तथा कौशल्या देवी को नारायणसिंह की पत्नि होना तथा प्रतिवादी नं. 1 मालीदेवी को नारायणसिंह व कौशल्या से उत्पन्न पुत्री होना अंकित किया है। वादपत्र में अंकित तथ्यों की गहनता से छानबीन करवाने हेतु एंव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

वास्तविक रूप से प्रहलादसिंह पुत्र शिवलाल सिंह के जीवित होने तथा पूर्व राजस्व रिकार्ड इसी प्रहलादसिंह पुत्र शिव लाल यही व्यक्ति होने के सम्बन्ध में उप तहसीलदार अजीतगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली गई। जिसकी पालना में उप तहसीलदार अजीतगढ़ ने जरिये पत्रांक 312/भू.अ./2021 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा अवगत कराया कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 201, 202, 250 किता 3 रकबा 3.06 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर पर प्रहलाद सिंह पुत्र शिवलाल सिंह का ही कब्जा होना तथा आज तक जीवित होना तथा इस गांव में प्रहलाद सिंह पुत्र शिवलाल सिंह जाति राजपूत के अलावा गांव में इस नाम से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना लिखित में अवगत कराया गया है। जिससे भी यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि वादी नं. 1 आदिनांक तक जीवित है तथा प्रतिवादी नं. 1 माली देवी मृतक कोशल्या देवी व नारायण सिंह की पुत्री है तथा कोशल्या देवी प्रहलाद सिंह की पत्नि नहीं होकर नारायण सिंह की पत्नि होना विभिन्न मतदाता सूचियों में दर्ज प्रविष्ठियों से प्रमाणित होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र से प्रतिवादी नं. 1 ने अपनी सहमति लिखित में व्यक्त करते हुए वादी के पक्ष में राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक कराया है एंव वादपत्र के समर्थन में वादी गवाहान् ने भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए शपथ पत्र पेश किये है। जिससे भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है एंव वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रकरण में वादपत्र वादीगण प्रहलादसिंह पुत्र शिवलालसिंह व शैलेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह दत्तक पुत्र प्रहलादसिंह के द्वारा वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज करवाने बाबत इस्तदुआ चाही गई है। जिसमें वादग्रस्त कृषि भूमियों [illegible] 1 प्रहलादसिंह पुत्र शिवलाल सिंह के ना[illegible] रिकार्ड में खातेदारी पूर्व में दर्ज [illegible] होने तथा [illegible]दसिंह के आज तक जीवित होने से [illegible] शैलेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह दत्तक पुत्र प्रहलादसिंह के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रकरण बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रहलाद सिंह बनाम माली देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु.नं. – 101/2019 दावा
	कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 201, 202, 250 किता 3 रकबा 3.06 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर का वादी नं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड से मृत्तक खातेदार कोसल्या देवी पत्नि प्रहलादसिंह जाति राजपूत का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी होंकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर(सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.08.10 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested